प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में
महिलाओं की भूमिका

प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में
महिलाओं की भूमिका

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप

दिसम्बर, 2012

परिकल्पना
विजय कुमार पाण्डेय

संकलन
अर्चना श्रीवास्तव

लेआउट डिजाइन
राजकान्ती गुप्ता

प्रकाशन :
गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर -273001
फोन : (0551) 2230004, फैक्स : (0551) 2230005
ई-मेल : geagindia@gmail.com, geag@geagindia.org

विवरणिका

1.	**पृष्ठभूमि**	**1**
2.	**खेती में महिलाओं का योगदान**	**1**
3.	**पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि एवं महिला किसानों की स्थिति**	**2**
4.	**प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति**	**3**
	• प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति के पदाधिकारी	5
	• समिति की सदस्यता एवं कृषिगत संसाधन खाद, बीज उपलब्ध कराने के नियम	5
	• ऋण पर ब्याज एवं वापसी के नियम	6
5.	**अध्ययन : प्रारूप एवं विवरण**	**6**
6.	**प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति में महिलाओं की भूमिका**	**7**
	• प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से मिलने वाली सुविधाएं	9
	• महिला किसानों की आवश्यकताएं	9
	• साधन सहकारी समिति की चयन प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता	11
	• समिति की उपलब्धता एवं उसकी उपयोगिता	12
7.	**विश्लेषण व निष्कर्ष**	**12**

पृष्ठभूमि

पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियाँ हैं और यहां पर अभी भी कृषि आधारित आजीविका पर निर्भर आबादी का प्रतिशत 70 से ऊपर है। इनमें भी छोटी जोत के ऐसे किसान बहुसंख्य हैं, जो खेती बंटाई या अधिया पर करते हैं। इनके पास अपने संसाधन अति न्यून मात्रा में होते हैं और संसाधनों तक इनकी पहुंच भी नगण्य होती है। गौर तलब है कि पूंजी के मामले में अति गरीब इन परिवारों की महिलाओं का खेती में योगदान महत्वपूर्ण होता है।

दूसरा पहलू यह भी है कि कृषि की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न इस क्षेत्र की नियति अनेकानेक आपदायें झेलना भी रही है और बाढ़ इनमें से एक प्रमुख आपदा है, साथ ही जल–जमाव एवं उससे उत्पन्न विकटताओं को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष तौर पर अपने साथ अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है, लोगों की खेती बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है और परिणामतः आजीविका के अन्य विकल्पों की तलाश में पुरूष तो बाहर पलायन कर जाता है, पीछे रह जाती है महिला–घर, बच्चे, पशु, खेत, फसल सभी संभालने के लिए। ऐसे में उसके द्वारा किये गये कार्यों को नकारा भी नही जा सकता और बिना किसी मजबूत आधार के (पुरूष के न रहने की स्थिति में खेती पर अधिकार) उसके सामने उत्पन्न समस्याओं को नजरअन्दाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में खेती के उत्थान के लिए सरकार द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति का आकलन करना एक अति आवश्यक अंग होगा, क्योंकि बगैर महिला जिस प्रकार घर की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार खेती भी उनके बगैर अधूरी है।

खेती में महिलाओं का योगदान

भारतीय परिवेश में खेती की कल्पना के साथ ही महिला की तस्वीर जेहन में उभरती है। चाहे वह बुवाई का काम हो अथवा निराई का, फसल की कटाई हो या फिर तैयार उत्पाद को भण्डारित करने की बात, प्रत्येक कार्य में महिला किसान की संलिप्तता निर्विवाद रूप से अग्रणी तौर पर सामने आती है। घर व बाहर, खेत व खलिहान, पशु व बच्चे आदि सभी की देख–भाल करने की दोहरी भूमिका निभाने के बाद भी आज महिला किसान को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वर्ष 2004–05 में गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार खेती सम्बन्धित कार्यों में महिलाओं का योगदान लगभग 84 प्रतिशत है। इसके बावजूद महिला किसान का खेती सम्बन्धित संसाधनों पर कोई हक अधिकारिक तौर पर नहीं है और न ही महिला को किसान के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी भी समाज या समुदाय के उन्नयन स्तर को मापने के लिए उसके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर को मापा जाता है, परन्तु इसके ठीक उलट महिला किसान, जिसका खेती में लगभग 84 प्रतिशत योगदान होता है, उसकी अधिकार, पहुँच व नियंत्रण में कोई गिनती नहीं होती।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि एवं महिला किसानों की स्थिति

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः छोटी व सीमान्त जोत के किसान बहुसंख्य हैं। यहां पर लगभग 75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। इन परिवारों की आजीविका का आधार खेती अथवा कृषिगत मजदूरी है। ऐसे परिवारों में महिलाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो ये घर का सारा काम संभालती हैं, दूसरी तरफ खेती के कार्यों में भी दिन–रात संलग्न रहती हैं, साथ ही परिवार की आर्थिक बेहतरी के लिए छोटे–छोटे पशु संसाधन भी पालती हैं और उनकी देख–भाल भी उन्हीं के जिम्मे रहती है।

हालांकि उपरोक्त तस्वीर पूरे देश की हो सकती है, परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश के मामले में यह तस्वीर और भी विचारणीय है। गौरतलब है कि यहां के अधिकांश जनपद बाढ़ एवं जल–जमाव वाले क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, जहां पर लोगों की खरीफ की फसल यदि बाढ़ से नहीं डूबी तो उसे जल–जमाव से नुकसान पहुंचता है और यदि यह भी नहीं हुआ (हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है) तो लम्बी अवधि का सूखा फसल को नष्ट करने के लिए तत्पर रहता है। दूसरी तरफ रबी की बुवाई जल–जमाव एवं नमी के कारण देर से होती है, जिससे उपज प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में छोटे एवं सीमान्त जोत के किसानों के सामने अपनी आजीविका समुचित रूप से चलाने के लिए पलायन के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं होता। पुरूष तो बाहर चला जाता है, जबकि घर पर अकेली महिला खेती, पशु, बच्चे, घर सभी संभालती है। घर–बाहर की इस दोहरी जिम्मेदारी को संभालती हुई महिला के समक्ष तब विकट स्थिति उत्पन्न होती है, जब उसे अपनी खेती समय से करने के लिए आवश्यक संसाधन के रूप में बीज, खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती।

प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति

आजादी के बाद वर्ष 1950–60 के दशक में ही यह महसूस किया जाने लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती–किसानी को रसातल तक ले जाने में उत्तरदायी सबसे प्रमुख तौर पर अच्छी किस्म व गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय से अनुपलब्धता एवं खाद का न मिलना है। सरकार की सोच यह भी थी कि यदि बात छोटे किसानों की जाये तो उनके लिए समय पर पैसे की उपलब्धता न होना भी खेती के गिरते स्तर का कारक हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसी व्यवस्था हो, जिससे कि किसानों को समय से खाद, बीज की उपलब्धता हो जाये और जिसके लिए पैसा कोई मुद्दा न बने तो कृषि को बेहतर रोजगार के रूप में मान्यता मिल सकती है और इसी सोच ने न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति को जन्म दिया। यदि एक शब्द में कहा जाये तो ''खेती–किसानी के प्रमख अवयव खाद–बीज की उपलब्धता को गांव स्तर पर समय से सरल व सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति गठित है।'' समिति को स्वायत्तशासी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसके पदाधिकारियों का चयन न्याय पंचायत के अन्दर आने वाले गांवों से चुनाव के आधार पर किया जाता है और इसकी आर्थिक सुव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसके अन्दर कुछ सरकारी व्यवस्थाएं भी की गयी हैं।

विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की प्रतिपादक सरकार ने इस समिति की बागडोर गांव के ही हाथ में रखने की सोच बनाई थी। इस प्रकार इस समिति के द्विस्तरीय ढांचे को निम्नवत् समझा जा सकता है –

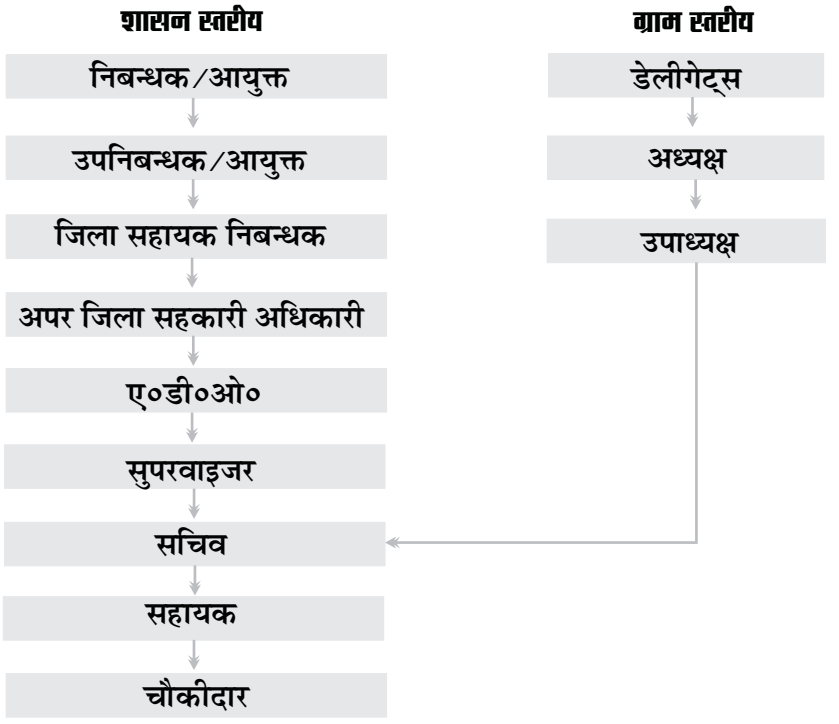

यहां यह बताना आवश्यक होगा कि सरकार के अधीन स्थापित सहकारी बैंकों से इन समितियों को समय से खाद, बीज उपलब्ध कराने हेतु धन की व्यवस्था की जाती है। एक फसली सीजन में सहकारी समिति से लिये गये धन की वापसी दूसरे फसली सीजन में बकायेदारों से ऋण वापसी पर की जाती है, परन्तु इस लेन–देन की व्यवस्था में कई स्तरों पर उत्पन्न विसंगतियों के कारण इस पूरी प्रक्रिया में व्यवधान आया और आज प्रदेश में स्थित बहुत सी सहकारी समितियां खस्ताहाल स्थिति में चल रही हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दुखद पहलू यह है कि सचिव, सहायक व चौकीदारी के वेतन की उपरोक्त व्यवस्था कागजी तौर पर बहुत अच्छी है, परन्तु वास्तव में इन तीनों पदों पर काम करने वाले लोगों को दो–दो वर्ष तक वेतन नहीं मिलता, क्योंकि उतना कमीशन ही एकत्र नहीं हो पाता है।

सचिव, सहकारी समिति, साड़े कलां

इसका मूल कारण यह है कि सहकारी बैंक द्वारा मानक अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें पैसा देने में असमर्थ हो जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में ये बैंक समितियों को समय से ऋण नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं।

हालांकि 2000 के दशक में सरकार को इन समितियों की उपयोगिता के बारे में पुनः ध्यान आया और उसने इनकी निष्पक्ष समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन डा0 वैधनाथन की अध्यक्षता में किया। वर्ष 2008 में वैद्यनाथन कमेटी ने गांव स्तर पर समय से खाद–बीज की उपलब्धता हेतु इन समितियों की उपयोगिता को आवश्यक मानते हुए इनके पुनरूद्धार की संस्तुति की थी और इसी संस्तुति के आधार पर प्रदेश में स्थित सभी समितियों को पुनरूद्धार कार्यक्रम के तहत् पैसा मिला, परन्तु उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि सहकारी बैंकों ने अपने पहले से बकाया राशि के भुगतान के तौर पर समितियों को प्राप्त आधी

सहकारी समितियों के खस्ताहाल होने के कई बिन्दु हैं, जिन्हें निम्नवत् इस प्रकार देखा जा सकता है –

? सरकार द्वारा चलायी जा रही ऋण माफी योजना से ऋण वापसी प्रक्रिया बाधित होती है। क्योंकि अखबारों के माध्यम से जागरूक किसान कहते हैं कि हमारा ऋण माफी के अन्तर्गत आते है और हमारे पास मौजूद शासनादेश में इसका कोई उल्लेख न होने की वजह से हमें ही परेशानी होती है।

? सरकारी नीतियां भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार कहती है कि एक लाख या उससे ऊपर के ऋण धारक के ऊपर ही आर0सी0 कटेगी और उसके ही ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। अब ऐसी स्थिति में बड़ा किसान भी 50,000.00 के अन्दर ही ऋण ले रहा है और समय से भुगतान भी नहीं कर रहा है। बैंक चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है।

सहकारी बैंक,
मेहदावल

से अधिक रकम रख ली और समितियां आज भी जस की तस हैं। कुछ स्थानों पर समितियां बेहतर स्थिति में हैं, तो इसका श्रेय उससे जुड़े किसानों, सचिव एवं अध्यक्ष की निष्पक्ष व अनुशासित कार्यशैली को दिया जाना युक्तियुक्त है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकारी व गैर सरकारी व्यवस्था को मिलाकर बनी इस समिति के देख–रेख एवं रख–रखाव की व्यवस्था गैर सरकारी होती है, जबकि किसानों को खाद, बीज आदि संसाधनों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर होती है।

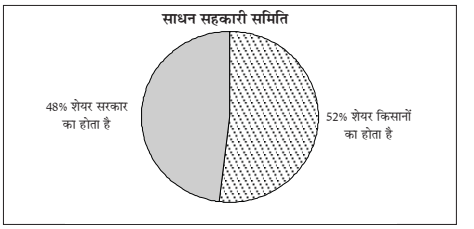

प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति के पदाधिकारी

साधन सहकारी समिति की प्रबन्धकीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से समिति की चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के क्रम में प्रत्येक पांच वर्ष पर समिति के डेलीगेट्स एवं तत्पश्चात् अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया एवं तिथि का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है।

एक बार समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार 6 माह के अन्दर चुनाव कराने के लिए बाध्य है।

बिडम्बना ही है कि सहकारी समिति के कार्यकारिणी का चुनाव सरकारी तन्त्र के हाथ में होता है।

उल्लेखनीय है कि एक न्यायपंचायत के अन्दर आने वाले गांवों एवं उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। सामान्यतः एक साधन सहकारी समिति में 9 प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एक महिला, एक पिछड़ी जाति एवं एक अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि होना आवश्यक है। आरक्षण का आधार एवं प्रक्रिया भी शासन स्तर से ही सुनिश्चित होती है।

समिति की सदस्यता एवं कृषिगत संसाधन खाद, बीज उपलब्ध कराने के नियम

20 रू0 देकर साधन सहकारी समिति का सदस्य कोई भी बन सकता है। शर्त यह है कि वह उस न्याय पंचायत के अन्दर निवास करता हो। जबकि भूमि शेयर का निर्धारण समिति करती है। सामान्यतः एक एकड़ पर 20,000.00 तक का ऋण मिल सकता है और ऋण का 10% शेयर के रूप में देय होता है। शेयर धारक को ही खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

समिति का नियम यह भी है कि एक एकड़ पर रू0 20000.00 एक सीजन में शेयरधारक को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत् 10000.00 रू0 का खाद, बीज एवं रू0 10000 नगद के रूप में इन्तखाब के सापेक्ष दिया जाता है।

ऋण की 80 प्रतिशत रिकवरी होने पर सहकारी बैंक का कर्ज चुकता करने के बाद शेष धनराशि में शेयर धारकों को लाभांश दिया जाता है।

ऋण पर ब्याज एवं वापसी के नियम

साधन सहकारी समिति के माध्यम से किसान को दिये गये ऋण पर कुल ब्याज दर 10 प्रतिशत है, जिसमें से 4 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 3 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाता है। किसान मात्र 3 प्रतिशत ब्याज ही अदा करता है। एक फसली सीजन में लिये गये ऋण की अदायगी किसान द्वारा दूसरे फसली सीजन से पहले कर दी जाती है। यदि वह ऐसा नहीं करता है और दो–तीन फसली सीजन तक बकाया लगाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होता है और यह सम्पूर्ण दर उसी के जिम्मे होता है।

सहकारी समिति से खाद, बीज लेने के लिए निम्नवत् दस्तावेजों को सदस्य अथवा किसी भी किसान को प्रस्तुत करना पड़ता है– खसरा, खतौनी, किसान बही अथवा यदि ये सब नहीं दे पाता तो उसे फार्म 25 भरकर देना पड़ता है।

अध्ययन : प्रारूप एवं विवरण

महिलाओं की जमीनी स्तर पर खेती–किसानी के लिए मौजूद संसाधनों तक कितनी पहुंच है, इन संसाधनों के बारे में उनकी जानकारी का स्तर कितना है? यह अभी भी विचारणीय बिन्दु है। किसानों के लिए बने सरकारी निकायों के बारे में ये महिला किसान कितना जानती–समझती हैं? इसमें इनकी भागीदारी व पहुँच कितनी है? कुछ इसी तरह के प्रश्नों का हल ढूंढ़ने के लिए किये गये इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत् हैं –

सर्वेक्षित जनपदों में प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति एवं उनकी स्थिति

क्रमांक	जनपद	कुल सहकारी समितियों की संख्या	निष्क्रिय समितियों की संख्या
1.	कुशीनगर	145	45
2.	महाराजगंज	96	29
3.	सन्त कबीर नगर	83	27

? प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति के बारे में महिला किसानों की जानकारी एवं सहभागिता का स्तर

? प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति से वास्तविक तौर पर लाभान्विता का स्तर

? प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति एवं उसके संसाधनों तक महिला सदस्यों की पहुंच।

अध्ययन के माध्यम

1. सर्वे प्रपत्र के माध्यम से सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण
   प्रारम्भिक तौर पर इस अध्ययन को करने हेतु पैक्स परियोजना अन्तर्गत चयनित तीन जनपदों के सभी 60 गांवों में, प्रत्येक गांव के लक्षित समुदाय की 21 महिलाओं के साथ रेण्डम आधार पर एक सर्वे प्रपत्र के माध्यम से साक्षात्कार कर सूचनाएं ली गयीं एवं तत्पश्चात् प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण किया गया।

2. समूह चर्चा एवं विचार संकलन
   साधन सहकारी समितियों की वास्तविक स्थिति, उसके ढांचे, उसमें महिलाओं की भूमिका आदि के बारे में जानने के लिए तीनों जनपदों में सम्बन्धित हितभागियों एवं महिला किसान समूहों के साथ चर्चा–परिचर्चा की गयी एवं तद्नुरूप एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गयी।

सर्वे प्रपत्र एवं समूह चर्चा के माध्यम से प्राप्त परिणामों को निम्न रूपों में देख सकते हैं–

प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति में महिलाओं की भूमिका

पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में साधन सहकारी समितियों की वास्तविक स्थिति एवं उनमें महिलाओं की भूमिका जानने के क्रम में एक अध्ययन किया गया। अध्ययन का प्रतिदर्श यहाँ दर्शाया जा रहा है।

क्र०	जनपद	कुल गाँव
1.	कुशीनगर	20
2.	महाराजगंज	20
3.	संतकबीर नगर	20

तीनों जनपदों में किये गये अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि महिला किसानों को प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। जानकारी के स्तर को हम निम्नवत् देख सकते हैं–

क्रमांक	जनपद	हाँ	नहीं	कुल महिलाएं
1.	महाराजगंज	119	314	433
2.	कुशीनगर	45	388	433
3.	सन्त कबीर नगर	89	344	433
	योग	**253**	**1046**	**1299**

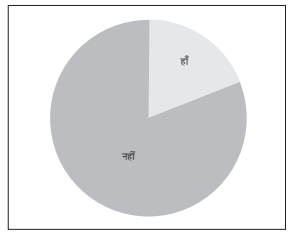

उपरोक्त तालिका के माध्यम से जनपद महराजगंज की महिला किसानों में जानकारी का स्तर सबसे सकारात्मक दिख रहा है, विषयगत थोड़ी सी मदद के साथ वे उसके बारे में अपनी जानकारी बता पा रही हैं, परन्तु उसके ढांचे के बारे में प्रायः प्रत्येक जनपद में नगण्य स्थिति ही मिलती है। गौरतलब है कि प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समिति सरकार एवं पंचायत की एक मिली–जुली इकाई है, जो किसानों को समय से खाद, बीज की उपलब्धता हेतु गठित है, परन्तु इस महत्वपूर्ण इकाई के बारे में महिला किसानों की जानकारी नगण्य होना एक दयनीय स्थिति की ओर संकेत करता है। प्राथमिक सहकारी समिति के पदाधिकारी कौन–कौन होते हैं, इस पर भी लगभग सभी महिलाओं ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक सहकारी समिति में एक महिला किसान की सदस्यता आवश्यक है और इसकी पूर्ति भी की जाती है, परन्तु सर्वेक्षण एवं समूह चर्चा दोनों माध्यमों से यह निकलकर आया कि वास्तव में इसकी पूर्ति एवं उपस्थिति सिर्फ कागज में ही सुनिश्चित की जाती है। इन महिलाओं को पता भी नहीं होता कि कब चुनाव होते हैं और इसमें अपनी भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। इसी प्रकार प्रतिदर्श के आधार पर यह भी विश्लेषित किया जा सका कि साधन सहकारी समिति की वर्ष में होने वाली बैठकों की संख्या के बारे में इन महिला किसानों को कोई जानकारी नहीं है और न ही इन्होंने अभी तक किसी महिला को इन बैठकों में जाते देखा या उसके बारे में किसी महिला से कोई चर्चा ही सुनी। सदस्यता का सवाल भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वही महिलाएं समिति की सदस्य बनी हैं, जो विधवा हैं या कोई नया बैनामा लेने में उनका नाम डाल दिया गया हो। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण में ऐसी महिला किसानों की संख्या मात्र 5 है।

सहकारी समिति के सदस्य दो तरीके के होते हैं– सक्रिय व निष्क्रिय। सक्रिय सदस्य वह होता है, जो लेन–देन करता है और लेन–देन वही करता है, जिसके नाम से सम्पत्ति होती है। स्पष्ट है कि बिना सम्पत्ति के महिला निष्क्रिय सदस्य के रूप में होती है, जो सिर्फ वोट देने के काम आती है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से मिलने वाली सुविधाएं

सर्वे के दौरान महिलाओं से प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात की गई, इस पर चर्चा के उपरान्त निम्न स्थितियां सामने आयीं–

सुविधाओं के बारे में जानकारी	
हां	नहीं
481	818

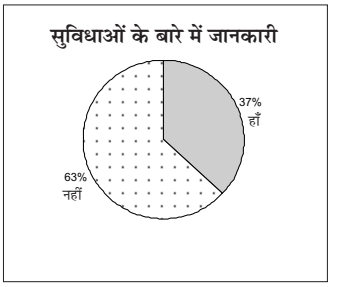

सहकारी समिति पर मुख्यतः धान व गेहूँ के ही बीज उपलब्ध होते हैं। कभी–कभी यदि क्षेत्र की अधिक मांग हो तो ढैंचा आदि के बीज भी उपलब्ध हो जाते हैं। यहां यह बताना श्रेयस्कर होगा कि सहकारी समिति पर उन्हीं बीजों/प्रजातियों की उपलब्धता होती है, जिन पर छूट होता है इनमे दलहन–तिलहन अनाज, गन्ना आदि फसलें भी है परन्तु इनकी उपलब्धता कभी नही होती।

सकारात्मक प्रतिक्रिया वाले सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि खाद, बीज की उपलब्धता तो साधन सहकारी समिति से होती है, परन्तु समय से उपलब्ध न होने की स्थिति में इसका कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि साधन सहकारी समिति से जुड़ाव होने की स्थिति में समिति के नियमों के अनुसार सदस्य को नकद धनराशि भी (यदि वे चाहें तो) दी जाती है, इसके अलावा उन्हें खाद, बीज आदि पास बुक व इन्तखाब पर उधार भी मिल जाता है, जो कि इन महिलाओं को नहीं मिल पाता।

> ''मर्द के नाम पर इन्तखाब रहता है और सुविधा भी उसी को मिलती है। वह तो मजदूरी आदि करने के लिए बाहर चला जाता है। ऐसी स्थिति में उधार का लाभ महिला को नहीं मिलता।''
>
> धर्मावती देवी, भुवनी, महाराजगंज

महिला किसानों की आवश्यकताएं

अगर हम बात करते है, खेती में महिलाओं के योगदान की, तो यह जानना आवश्यक होगा कि खेती के लिए विशेषकर महिलाओं की आवश्यकता क्या है? एक बड़े समूह में की गई चर्चा से पता चला कि लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं खेत को अपने परिवार एवं पशुओं से जोड़कर देखती है। इन्होंने माना कि पोषणयुक्त आय जनक खेती को ये प्राथमिकता देती है और तद्नुरूप बीजों की आवश्यकता इन्हें होती है। ऐसी स्थिति में ये सब्जी, मूंगफली, बाजरा आदि की खेती करना चाहती है। लघु, सीमान्त की श्रेणी में आने वाली ये महिलाएं अपने छोटे–छोटे

खेत के टुकड़े से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही अपनी आय को भी बरकरार रखना चाहती है और इसलिए ये ऐसी खेती करना चाहती हैं और करती भी है, जिससे ये नियमित रूप से बाजार से जुड़ी रहें। मात्र 20 प्रतिशत महिलाएं ही धान–गेहूँ के बीजों की मांग करती है। ग्राम समोगर व सीयर में महिला समूह में की गई चर्चा में महिलाओं ने कहा कि हमारी मांग सब्जी के बीजों की रहती है, पर दुखद तो यह है कि किसी भी सहकारी समिति पर सब्जी के बीजों की उपलब्धता नहीं होती। धान, गेहूँ के जो बीज उपलब्ध रहते है, वे भी पुरूष सदस्य किसानों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जाता है। महिला किसानों की पहुँच को अगर उपलब्धता एवं प्राप्ति के आधार पर देखा जाये तो यहां भी इनकी स्थिति दयनीय रहती है। उद्घृत करना आवश्यक होगा कि सहकारी समिति के सदस्यों को खाद व बीज की उपलब्धता उधार भी करा दी जाती है। एक पुरुष किसान के न रहने की स्थिति में उसके नाम खसरा खतौनी प्रस्तुत करने पर महिला को खाद, बीज मिल तो जाता है परन्तु उसके लिए उसे नगद पैसा देना पड़ता है, उसे उधारी की कोई सुविधा नहीं मिल पाती। सहकारी समिति पर बीजों की उपलब्धता स्थानीय मांग के अनुरूप ही होती है परन्तु उसमें महिलाओं की मांग को ध्यान में नहीं रखा जाता है और सामान्यतया गांव में किसानों से मांग ली भी नहीं जाती है।

> यह भी तय है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया में वही लोग भाग लेते हैं जो इसके सदस्य होते हैं और सदस्य वही बनते हैं, जिनके नाम खेती की जमीन होती है, तो महिला के नाम न खेती की जमीन है और न वह सदस्य है।
>
> हरिवंश दूबे
> अध्यापक, ग्राम नौगो, सन्त कबीर

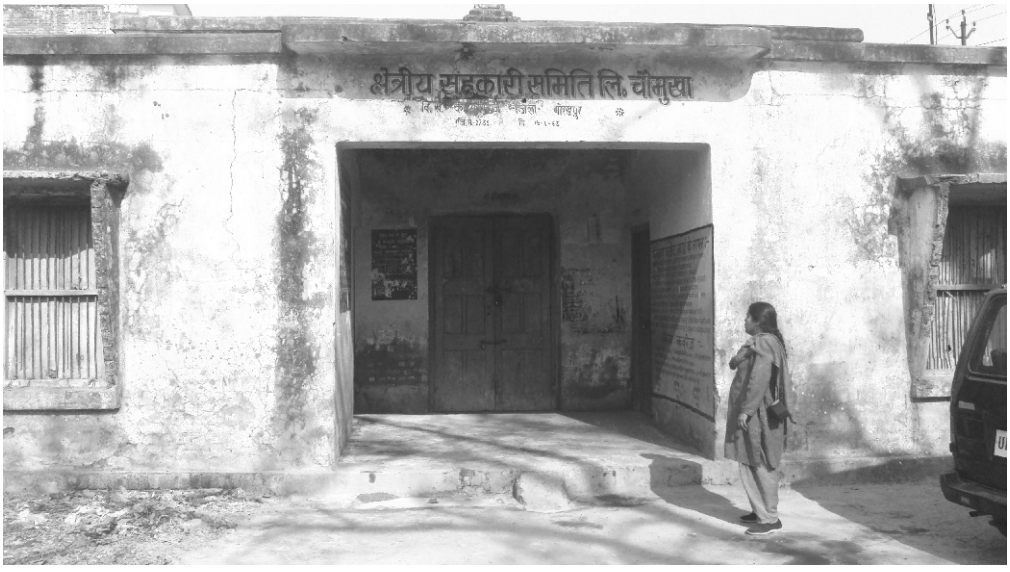

साधन सहकारी समिति की चयन प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता

विभिन्न साधन सहकारी समिति के सचिवों से वार्ता के दौरान एक तरफ जहां यह पता चलता है कि चयन प्रक्रिया गांव स्तर पर सम्पन्न होती है, लेकिन इसका निर्धारण शासन स्तर से होता है। सामान्यतः समिति के पदाधिकारियों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। चयन की तिथि एवं उसमें आरक्षण का आधार शासन निर्धारित करता है। प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी सचिव के माध्यम से सम्बन्धित गांवों के प्रधानों को सूचना देता है। तद्नुसार प्रधान गांव में मुनादी करवाता है और चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से डेलीगेट्स एवं तत्पश्चात् अध्यक्ष का चयन किया जाता है। समिति में महिलाओं की 33 प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रावधान शासन स्तर से है।

एक सहकारी समिति की शासकीय संरचना में 9 सदस्य होते हैं। शासन की तरफ से यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक 9 सदस्यों में एक महिला अवश्य होनी चाहिए और चुनाव प्रक्रिया में इस बात का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाता है, परन्तु ये निर्वाचित महिला सदस्य कभी भी किसी भी बैठक में नहीं जातीं, वहाँ भी उनके पति या बेटे ही प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वेक्षित तीन जनपदों में शासकीय संरचना में सदस्यों, महिला सदस्यों एवं उनकी स्थिति को इस प्रकार देख सकते हैं–

जनपद	कुल गांव	कुल सदस्यों की संख्या	महिला सदस्यों की संख्या	सक्रिय महिला सदस्य
कुशीनगर	145	1305	145	0
महाराजगंज	96	864	96	0
सन्त कबीर नगर	83	747	83	0

महिला सदस्यों को भी अन्य पुरुष सदस्यों के समकक्ष उधार खाद–बीज प्राप्त करने की सुविधा नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज नहीं होते।

सर्वे प्रतिदर्श एवं समूह चर्चा के माध्यम से यह निकल कर आया कि सामान्यतः किसी को जानकारी ही नहीं होती है और चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती है। महिलाओं को तो खास तौर पर इसका पता ही नहीं चल पाता कि कब उनके सम्बद्ध सहकारी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और कौन महिला इसकी सदस्य चुनी गयी।

समिति की उपलब्धता एवं उसकी उपयोगिता

सर्वे प्रतिदर्श एवं समूह चर्चा के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समिति की उपलब्धता एवं उसकी उपयोगिता जानने के क्रम में निम्न बातें निकल कर आयीं –

? सकारात्मक उत्तर वाले सभी प्रतिभागियों ने यह माना कि समिति नियमित रूप से खुलती है। इसके खुलने का समय अमूमन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक का होता है।
? अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर व नवम्बर में यहां पर किसानों की भीड़ रहती है।
? परन्तु साथ ही इन्होंने माना कि जिन किसानों के पास इन्तखाब रहता है और जो इसके अंशधारक सदस्य रहते हैं, उन्हें ही समिति से अधिक फायदा होता है। अन्य को कोई विशेष फायदा नहीं होता।
? एक बिन्दु यह भी निकलकर आया कि समिति पर समय व मांग के अनुरूप खाद, बीज की उपलब्धता न होने के कारण इसकी उपयोगिता कम रह गयी है।

विश्लेषण व निष्कर्ष

कृषिगत संसाधनों की पहुंच गाँव स्तर तक सुगम व सरल बनाने के उद्देश्य से स्थापित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की उपयोगिता निश्चित तौर पर किसानों के लिए है और यह भी सही है कि छोटी जोत की किसानी में महिला सहभागिता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। अध्ययन से एक तरफ जहां सहकारी समिति की उपयोगिता किसानों खासकर महिला किसानों के लिए अत्यधिक है, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी विरोधाभास है कि इन महिला किसानों को समिति के बारे में बहुत जानकारी ही नहीं है। यदि उसे जानकारी है भी तो सिर्फ उससे प्राप्त होने वाले खाद, बीज के बारे में। न तो उसके ढांचे के बारे में महिला किसानों को जानकारी है और न ही वे यह भी जान रही हैं कि वे इसकी सदस्य कैसे बन सकती हैं। समिति की बैठक कब – कब होती है, उसमें भागीदारी कैसे निभाई जा सकती है?, इन सब मामलों में महिला किसानों की पूर्णतः अनभिज्ञता है।

समिति के सदस्यों में महिला किसानों की सहभागिता है, कागजों में इसकी पूर्ति भी बराबर होती है, परन्तु वास्तविकता के धरातल पर कहीं भी वास्तविक महिला किसान की सदस्यता नहीं दिखाई देती है। उन महिलाओं को सदस्य बना दिया जाता है, जिनका खेती–किसानी से दूर–दूर का भी नाता नहीं होता है। यह बहुत कुछ चुनाव लड़ने की दृष्टि से होता है, जिसमें लोग 20–20 रू0 जमा कर कुछ ऐसी महिलाओं को सदस्य बनवा देते हैं, जो समय आने पर उन्हें वोट दें। इन महिलाओं का इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि समिति पर समय से खाद, बीज की उपलब्धता हो पा रही है अथवा नहीं। पात्र व्यक्ति की पहुंच संसाधनों तक हो पा रही है या नहीं।

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि महिला किसान खेतिहर की भूमिका का निर्वहन करती है, खेती सम्बन्धी कार्यों में उसकी भागीदारी पुरूष किसान से अधिक होती है, परन्तु संसाधनों तक उसकी पहुंच नगण्य है। पुरूष के घर पर न रहने की स्थिति में उसे समिति से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में उसके लिए गांव या बाजार में स्थित खाद, बीज की दुकान

अधिक उपयोगी होती है, जहां उसे मौके पर उधार खाद, बीज तो मिल जाती है, भले ही इसके लिए उसे अधिक ब्याज दर देना पड़ता है।

समिति की बैठकें होती ही नहीं तो उसमें महिला सदस्यों की भागीदारी होने तथा समिति को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनके विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि समिति की बैठक भी होती है।

विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान एक समिति के सचिव ने स्पष्ट किया कि– ''छोटे, सीमान्त किसानों के लिए बनाई गयी यह समिति इन्तखाब के आधार पर काम करती है। जो जितने रकबे का इन्तखाब लायेगा, समिति के नियमों के अनुसार उसे उतने खाद, बीज की उपलब्धता कराई जायेगी। ध्यान रहे यह उपलब्धता एक फसली सीजन के उधार पर चलती है। ऐसी स्थिति में वास्तविक किसान महिला तो इस सुविधा से पूर्णतः वंचित रहती है, जबकि उसे ही इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह समिति निकटतम संसाधन केन्द्र होती है।'' ऐसी स्थिति में समिति को और अधिक सशक्त बनाते हुए इसके नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

एक तथ्य यह भी निकल कर आया कि गांव स्तर पर कृषिगत संसाधनों की पहुंच को सरल सुगम बनाने की दृष्टि से स्थापित इन समितियों की दूरी अधिक होती है। अधिकांशतः समितियों की दूरी 5–7 किमी0 के बीच पाई गयी। एक महिला के लिए इतनी दूर से सामानों को लाना एक दुष्कर कार्य होगा। अतः इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त अध्ययन के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति अपने उद्देश्यों के अनुरूप किसानों, खासकर महिला किसानों के लिए एक अति महत्वपूर्ण संसाधन केन्द्र है, जहां से वह अपनी कृषिगत आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लेकिन अधिकार विहीन होने के कारण उसे यह सुविधा नहीं मिलती। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि छोटे किसानों, महिला किसानों के लिए बनी इस समिति के बारे में सामान्यतः किसी को जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि लोग इसका लाभ ले सकें।

प्राप्त परिणामों के आधार पर तैयार इस अध्ययन प्रारूप का प्रयोग महिला किसानों के बीच प्रचार–प्रसार का एक माध्यम बन सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसके माध्यम से कुछ सुझावों को समिति के नियमों में सन्निहित करते हुए संशोधन की संभावना भी बन सकती है –

- समिति में सिर्फ वैचारिक नहीं वरन् वास्तविक स्तर पर महिलाओं की सहभागिता हो।
- महिला किसानों तक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नियमों को पारदर्शी बनाने की दिशा में पहल किया जाये।
- महिला किसानों के नाम भूमि दर्ज की जायें, जिससे उन्हें निष्क्रिय से सक्रिय सदस्य बनने का मौका मिले।
- खसरा–खतौनी पर महिला व पुरूष दोनों का संयुक्त स्वामित्व होना चाहिए, यदि सरकार ऐसी पहल करें तो महिलाओं को खेती किसानी सम्बन्धी संसाधनों तक पहुंच में आसानी हो सकती है।

सर्वेक्षण प्रश्नावली

क) विषयागत

1. क्या आप प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के बारे में जानते हैं?

2. यदि हां तो क्या जानते हैं?

3. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का सदस्य कौन हो सकता है ?

4. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से क्या–क्या सुविधाएं कब–कब उपलब्ध होती हैं?

5. आपके आस–पास कृषि सहकारी समिति कहां व कितनी दूरी पर स्थित है?

6. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की देख–रेख कौन करता है?

7. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के पदाधिकारी कौन–कौन होते हैं?

8. इसमें महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित होती है?

9. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की वर्श में कितनी बैठकें निर्धारित हैं?

10. क्या निर्धारित समय पर बैठकें होती हैं ?

11. यदि हां तो क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती है?

12. यदि हां तो कितनी महिलाओं की भागीदारी होती है ?

13. एक सहकारी समिति से अधिकतम कितने सदस्यों का जुड़ाव हो सकता है?

14. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का चुनाव कौन निर्धारित करता है एवं यह कब होता है?

15. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कब–कब खुलती है एवं खुलने का समय क्या है ?

15. क्या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से सभी किसानों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं?

16. यदि हां तो क्या–क्या सुविधाएं मिलती हैं ?

17. यदि नहीं तो किस प्रकार के किसानों को लाभ मिलता है ?

18. क्या कृषि सहकारी समिति से भूमिहीन किसान एवं महिलाएं भी लाभान्वित होती हैं ?

19. यदि हां तो कैसे ?

20. यदि नहीं तो क्यों ?

21. क्या कृषि सहकारी समिति से किसी खास मौसम में अधिक लाभ मिलता है ?

ख) व्यक्तिगत

1. उत्तरदाता का नाम : लिंग :

2. पिता / पति का नाम :

3. जाति : 4. उम्र :

5. ग्राम : 6. न्यायपंचायत :

7. विकास खण्ड : 8. जनपद :

9. आजीविका का मुख्य स्रोत :

10. कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता :

11. मुख्य फसल :

12. आपको प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से क्या–क्या सुविधाएं मिली हैं?

13. सम्बद्ध प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का क्या नाम है ?

14. प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को सुदृढ़ करने हेतु आपके क्या सुझाव हैं ?

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, भारत

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्थाई विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सन् 1975 से काम कर रहा है। संस्था लघु एवं सीमान्त किसानों, आजीविका से जुड़े सवालों, पर्यावरण संतुलन, लैंगिक समानता तथा सहभागी प्रयास के सिद्धान्तों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संस्था ने अपने 35 साल के लम्बे सफर के दौरान अनेक मूल्यांकनों, अध्ययनों तथा महत्वपूर्ण शोधों को संचालित किया है। इसके अलावा अनेक संस्थाओं, महिला किसानों तथा सरकारी विभागों का आजीविका और स्थाई विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर क्षमतावर्धन भी किया है। आज जी०ई०ए०जी० ने स्थाई कृषि, सहभागी प्रयास तथा जेन्डर जैसे विषयों पर पूरे उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप ने 200 से अधिक स्वैच्छिक संस्थाओं का नेटवर्क बनाया है जो कि जिले, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर- 273001
फोन : 0551-2230004, फैक्स : 0551-2230005
ईमेल : geag@geagindia.org, geagindia@gmail.com
वेबसाइट : www.geagindia.org

पैक्स
नई दिल्ली